

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)**

श्रीमती देवकी गुरुंग पत्नी श्री मीन बहादुर गुरुंग, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डाकघर बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती देवकी गुरुंग पत्नी श्री मीन बहादुर गुरुंग, निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डाकघर बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में अपनी पुत्री कुमारी अंकिता गुरुंग की जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन—पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि आवेदिका की पुत्री का जन्म दिनांक 19–03–2008 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत शनाग के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि आवेदिका की पुत्री अंकिता की जन्म तिथि 19–03–2008 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अंकिता पुत्री श्री मीन बहादुर गुरुंग की जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–05–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शनाग के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

---

**ब अदालत श्री हरी सिंह यादव, तहसीलदार एवं उप-रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, तहसील कुल्लू  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)**

केस नं० : 09/2025

तारीख पेशी : 10–04–2025

श्री ओम प्रकाश (Om Parkash) पुत्र श्री गुलाब चंद, निवासी गांव पिरडी, डाकघर मोहल, तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री ओम प्रकाश (Om Parkash) पुत्र श्री गुलाब चंद, निवासी गांव पिरडी, डाकघर मोहल, तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने इस न्यायालय में अपने नाम दुरुस्ती करने बारे आवेदन—पत्र, मय शपथ पत्र गुजारा है कि आवेदक के स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड व आयकर प्रमाण—पत्र में ओम प्रकाश (Om Parkash) की बर्तनी ठीक लिखी गई है जबकि इनके सेवा मुक्ति पुस्तिका में ओम प्रकाश (Om Prakash) बर्तनी गलत दर्ज की गई है जिसे अब वह ठीक करवाना चाहता है इस बाबत प्रमाण—पत्रों की छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्री ओम प्रकाश (Om Parkash) की बर्तनी सभी प्रमाण—पत्रों में ओम प्रकाश (Om Parkash) है, तथा नाम दुरुस्ती करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री ओम प्रकाश (Om Parkash) पुत्र श्री गुलाब चंद की नाम दुरुस्ती करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 10—04—2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार सेवा मुक्ति पुस्तिका में नाम दुरुस्त करवाने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 22—03—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

---

ब अदालत श्री हरी सिंह यादव, तहसीलदार एवं उप—रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, तहसील कुल्लू,  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 08/2025

तारीख पेशी : 10—04—2025

रुम सिंह उर्फ रोहित ठाकुर

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र बराये नाम परिवर्तित करने बारे।

श्रीमती टिककी देवी पुत्री श्री अमर चंद हाल पत्नी श्री तीर्थ राम, निवासी चतानी, डाकघर नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हि०प्र० ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि इनका असली नाम टिककी देवी सुपुत्री श्री अमर चंद है परंतु आधार कार्ड में गुड़ी देवी पत्नी तीर्थ राम दर्ज हुआ है जोकि गलत है गुड़ी देवी से बदलकर टिककी देवी पत्नी तीर्थ राम करना चाहती है और वह उसे दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारणव सम्बन्धिगण को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती गुड़ी देवी पुत्री श्री अमर चंद हाल पत्नी श्री तीर्थ राम के नाम से श्रीमती टिककी देवी पुत्री श्री अमर चंद हाल पत्नी श्री तीर्थ राम दुरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10—04—2025 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती दर्ज करने आदेश कागजात में पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील कुल्लू जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

---

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

मिसल नं0 12 / 2025

दिनांक मरजुआ : 12–03–2025

तारीख पेशी : 21–04–2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री मंगत राम पुत्र स्व0 श्री कीमत राम, निवासी गांव कुठेड़ फाटी पलेही, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री मंगत राम पुत्र स्व0 श्री कीमत राम, निवासी गांव कुठेड़ फाटी पलेही, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में दिला लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि उसके पिता का नाम कीमत राम है। ग्राम पंचायत कुठेड़ के रिकार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड में कीमत राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में दिला के स्थान पर कीमत राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में दिला के स्थान पर कीमत राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 21–04–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर—हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

मिसल नं0 13 / 2025

दिनांक मरजुआ : 12–03–2025

तारीख पेशी : 21–04–2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री संगत राम पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव डवारच फाटी लोट, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू  
(हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम ।

प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे ।

श्री संगत राम पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव डवारच फाटी लोट, नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में संगती पुत्र श्री बुध राम लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि उसका नाम संगत राम पुत्र श्री बुध राम है। ग्राम पंचायत दुराह के रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान-पत्र, बैंक रिकार्ड में संगत राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी दुराह में संगती पुत्र श्री बुध राम के स्थान पर संगत राम पुत्र श्री बुध राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट में संगती के स्थान पर संगत राम पुत्र श्री बुध राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 21-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी लोट में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं० 11 / 2025

दिनांक मरजुआ : 04-03-2025

तारीख पेशी : 21-04-2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री योग राज पुत्र स्व० श्री दया नन्द, निवासी गांव धनाह फाटी नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम ।

प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे ।

श्री योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द, निवासी गांव धनाह फाटी नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में युवराज लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि उसका नाम योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द है। ग्राम पंचायत देहरा के रिकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड तथा स्कूल दस्तावेजों में योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में युवराज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द के स्थान पर योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में युवराज के स्थान पर योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 21-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हिं0प्र0)।

---

**In the Court of Shri Uma Dutt, Executive Magistrate Nirmand, District Kullu, H.P.**

Shishma Devi

*Applicants.*

*Versus*

General Public

*. Respondent.*

*Subject.—Registration of delayed birth and death events prior to 09-08-1973.*

Smt. Shishma Devi d/o Shri Lal Dass, r/o Village and P. O. Kharga, Distt. Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth registration of her on dated 09-08-1973 has not been entered in the record of Gram Panchayat Kharga.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering birth entry of the applicant on 09-08-1973 in the Panchayat record of Gram Panchayat Kharga, he/she/they may file their objections on or before 16-04-2025 before this court. In case of no filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and Signature on this 20th day of March, 2025.

Seal.

Sd/-  
Executive Magistrate,  
Nirmand, Distt. Kullu, (H.P.).